(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी अधिकारी को शिकायतों का समाधान करने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सी पी वी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक लोक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस सैल में समस्त भारत में पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध शिकायतों की निगरानी के लिए दो जन सम्पर्क अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। पत्रों और फैक्सों के रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं और उस पर उपयुक्त कार्यवाई की जाती है। चूककर्ता अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक शिकायत याचिका को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा दिए गए संशोधित प्रारूप के अनुसार निपटाया जाता है।

2. सभी पासपोर्ट अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि एक तालाबंद शिकायत पेटी स्वागत कक्ष में रखी जाए और उसे प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर खोला जाए।

3. प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और अन्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण शिकायती कालमों पर नियमित रूप से नजर रखें और उन शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई शुरू करें।

4. इस बात के स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी की पहुंच लोगों तक बनी रहनी चाहिए विशेष तौर पर तब, जबकि कोई आवेदक एक से अधिक बार पासपोर्ट कार्यालय का चक्कर लगा चुका हो और उसे कोई संतोषजनक उत्तर न मिला हो।

5. बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में टेली-इंक्वायरी प्रणाली आरंभ हो गई है जिससे कि आवेदन टेलिफोन करके अपने आवेदन-पत्रों की स्थिति के बारे में कप्यूटरीकृत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

6. पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधियों और अपेक्षाओं के विवरण दर्शाने वाली एक सूचना पुस्तिका, तैयार की गई है और यह प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।

(ग) ऊपर उल्लिखित उपायों के अलावा कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार और जबावदेह बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं शिकायत प्राप्त होती है वहां अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है।

Development of long range missiles jointly by Russia, China and Iran

165. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "Russia, China working closely with Iran", which appeared in the Hindustan Times, dated 11th September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that Russia and China are working closely with Iran in building long-range nuclear missiles; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALIM IQBAL SHERWANI): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The news report is based on a "Isreaeli intelligence report". During the recent visit of the Chinese President Jiang Zemn to the USA, China gave an undertaking to withhold all further nuclear cooperation with Iran. On 9 July, 1997, a spokesman of the Russia Foreign Ministry stated that Russia did not supply any ballistic missile related components to Iran and denied having any cooperation with Iran in the missile sphere which would be in contradiction to the provisions of the Missile Technology Control Regime (MTCR). These developments are monitored regularly by the Government.

US High Tech for Space War

166. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "US going high tech for space war" which appeared in The Hindustan Times, dated 3rd September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that United States is getting ready for a real space war shooting down enemy satellites in space before they take pictures or rain down missiles in war;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what counter steps are proposed to be taken against such situations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALIM IQBAL SHERWANI): (a) Yes Sir.

(b) to (d) Government has seen reports in the media regarding the United States' anti-ballistic missile activity including the employment of lasers for shooting down satellites in space. India's stand against use of anti-satellite (ASAT) weapons for prevention of arms race in outer space has been articulated in the relevant fora such as Conference on Disarmament in Geneva. India has also proposed negotiations for an international treaty to ban anti-satellite (ASAT) weapons. Government remains fully committed to taking all necessary steps to safeguard its security and national interest in accordance with its assessment of developments relating to India's security environment.

अवैध प्रवासियों को निकाला जाना

167. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने भारतीय लोगों को अवैध प्रवास के कारण अन्य देशों से निकाला गया;

(ख) भारतीयों को अवैध रूप से विदेश में भेजने के आरोप में कितने एजेंटों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) विगत दो वर्षों के दौरान विदेशों से अवैध प्रव्रजन (देशान्तरण) के आधार पर निकाले गए भारतीयों की संख्या के आंकड़े विदेश स्थित भारतीय मिशनो/केन्द्रों से एकत्र किए जा रहे है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सीबीआई ने उन 23 एजेंटों को चार्जशीट किया है जिनका माल्टा नाव दुर्घटना, जोकि दिसम्बर, 1996 में घटित हुई थी, में पंजाबी युवकों को अवैध रूप से भेजने में हाथ था। भारतीय नागरिकों को विदेशों में अवैध रूप से भेजने के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किए गए किन्हीं अन्य एजेंटों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह सूचना प्राप्त हो जाएगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) (i) भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से विदेशों में भेजने वाले बेईमान एजेंटों पर नियंत्रण करने के लिए उच्चस्तरीय अन्तर-मंत्रालय परामर्श किए गए हैं। उत्प्रवास अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में उत्प्रवास जांच चौकियों के लिए हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई है ताकि भोले-भाले लोगों के साथ धोखा न हो और उन्हें समुचित उत्प्रवास जांच के बिना अवैध रूप से विदेशों में नहीं ले जाया सके।

(ii) श्रम मंत्रालय में भर्ती एजेंटों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित विदेश स्थित मिशन के साथ परामर्श करके की जाती है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन मामलों के गुण-दोषों के आधार पर उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों के निलम्बित/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, छानबीन के लिए मामलों को पुलिस/सीबीआई के पास भेजा जाता है। 1994 से जून, 1997 तक, 41 भर्ती एजेंटों के पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निलम्बित और एक भर्ती एजेंट के प्रमाण-पत्र को रद्द किया गया है।

(iii) विदेश स्थित मिशन धोखेबाज भर्ती एजेंटों/नियोक्ताओं के नामों की सूची अप्रवास महा संरक्षक, श्रम मंत्रालय के पास भेजते हैं ताकि धोखाघड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्हें काली सूची में डाला जा सके।

(iv) चूंकि उत्प्रवास प्राधिकारी उत्प्रवास संरक्षक की ओर से कार्य करते हैं, अत: संरक्षकों को यह सुनिशिचत करने के लिए आकस्मिक जांच करने की हिदायतें दी जाती हैं कि उत्प्रवास अधिनियम के उपबन्धों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए और लोगों को उत्प्रवास अधिनियम जांच के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाए।

(v) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केवल वे व्यक्ति ही विदेश जा सकें जिन्हें विदेशों में रोजगार मिला है। श्रम मंत्रालय कामगारों द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक छानबीन करता है। सभी अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल मजदूरों की कुछ श्रेणियों के लिए विदेशों में रोजगार के लिए जाने से पूर्व वे श्रम मंत्रालय से उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं।

(vi) श्रम मंत्रालय के लाईसेंस नम्बर का हवाला दिए बिना विदेशों में रोजगार के लिए अखबारों में विज्ञापन देना, आवेदन मांगना एक संज्ञेय अपराध माना जाता है। श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उन विज्ञापन दाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के अनुदेश दोहराए हैं जो